संख्या-2187/44-2-1992

प्रेषक,

श्री सी0 बी0 पालीवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से
सम्बन्धित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव।

लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 1992

विषय :- उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड को बन्द किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों/अधिकारियों को निगमों/उपक्रमों में सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1973/चौवालिस-2-123/91, दिनांक 29 अक्टूबर, 1991 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम को शासन द्वारा बन्द किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों/अधिकारियों को कतिपय शर्तों के अधीन मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकारी सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-13/4/89-कार्मिक-2, दिनांक 6 मार्च 1990 द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है परन्तु निगमों की सेवाओं में नियुक्ति हेतु इनके लिये अलग से कोई आदेश जारी न किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम के उक्त छटनीशुदा कार्मिकों की निगमों में नियुक्ति किये जाने पर कतिपय निगमों द्वारा समस्याएं उठाई गई हैं।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2 के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 29 अक्टूबर, 1991 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह स्पष्ट करना है कि मानवीय आधार पर हार्टिकों के छटनीशुदा कार्मिकों की निगमों की सेवा में नियुक्ति हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 29 अक्टूबर, 1991 में निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबन्ध चलचित्र निगम के छटनीशुदा कार्मिकों पर भी लागू होंगे।

भवदीय,
सी0 बी0 पालीवाल,
विशेष सचिव।

संख्या-2187(1)/-44-2-1992, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त निगमों/उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी।
(2) निगमा/उपक्रमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रशासकीय अनुभाग।
(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
मन्द्रालय जोशी,
अनु सचिव।